राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 927/2025

सुरेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
3. जिला कलेक्टर (भू.अ.) झुन्झुनूं।
4. तहसीलदार, तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. श्रीमती सरिता लाम्बा, पटवारी, पटवार मण्डल, कुलोदकलां, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री ओ.पी. झाझडिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल बास नानग, तहसील झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल बास नानग, तहसील झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं से पटवार मंडल अजाडीकलां तहसील झुन्झुनूं स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए पटवार मण्डल ढाणी पुरोहितान तहसील झुन्झुनूं किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उनका स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है इसलिए आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में हम पाते है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 30.10.2022 से कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण समुचित समयावधि पश्चात प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के सम्बन्ध में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।

यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि या दुर्भावना प्रकट नहीं होती है। अतः आलोच्य आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य